

बिहार सरकार
कृषि विभाग
पत्र संख्या—३/कृ० बजट—आवंटन—२१/२०१६ २९ (आवंटन) कृ०, पटना दिनांक—१५—०८—२०१६
प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन—सह—अपर सचिव
सेवा में

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टार्टअपेंड के भुगतान के लिए वर्ष २०१६-१७ में अनुसूचित जनजाति के लिए ०.६० लाख रु० (साठ हजार रु०) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹ ६०,००० (साठ हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या:-२९०१ दिनांक—३०.०६.२०१६ द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टार्टअपेंड के भुगतान के लिए वर्ष २०१६-१७ में अनुसूचित जनजाति के लिए ०.६० लाख रु० (साठ हजार रु०) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹ ६०,००० (साठ हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹ ६०,००० (साठ हजार रुपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष २४१५—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—उपमुख्यशीर्ष—०१—फसल कृषि कर्म—लघुशीर्ष—७९६—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—मांग संख्या—०१—उपशीर्ष—०१०४—बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड—P2415017960104— के अंतर्गत वर्ष २०१६-१७ में विषयशीर्ष—३१ ०६—सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि ₹ ४६,००,००० (छियालीस लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक:-२५६१ वि० (२) दि०—१७.०४.९८ एवं पत्रांक:-४५७२ दि०—०३.०६.२०१६ के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


निदेशक प्रशासन—सह—अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—

२९ (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक— १५-०७- 2016

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Auf/पटना/८
निदेशक प्रशासन—सह—अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—

२९ (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक— १५-०७- 2016

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/वित्त विभाग, (बजट—शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशास्या पदाधिकारी, (प्रशास्या—०४, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शाष्ट्र), सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई—मेल करने हेतु प्रेषित। ✓

Auf/पटना/८
निदेशक प्रशासन—सह—अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।